CIPA-R1.11 00

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. District: STATE VIG BUREAU P.S.: SVB AMBALA Year: 2014 FIR No.: 9 Date: 25-08-2014

2. Act(s): Section(s):
   (i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7
   (ii)
   (iii)
   (iv)

3. Occurrence of Offence:
   (a) Day: Monday Date From: 25-08-2014 Date To: 25-08-2014
   Time Period: Time From: Time To:
   (b) Information received at P.S: Date: 25-08-2014 Time: 11:30 hrs
   (c) General Diary Reference: Entry No.: 5 Time: 11:40 hrs

4. Type of Information: WRITTEN

5. Place of Occurrence:
   (a) Direction and Distance from P.S: East/40.0 Km. Beat No.:
   (b) Address: AMBALA, AMBALA
   (c) In case, Outside the limit of the Police Station:
   Name of P.S: District:

6. Complainant/Informant:
   (a) Name: ASHOK KUMAR (S/O) LAXMAN SINGH
   (b) Birth Year: Nationality: INDIA
   (c) Passport No. Date of Issue: Place of Issue:
   (d) Occupation:
   (e) Address: VILLAGE GALHERI DIVISION BARARA

SEEN
DIG/SVB(H) PKL

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):
   (i) DALBIR SINGH
   (R/O)SECTORY VILLAGE GALHERI DIVISON BARARA
   (ii)
   (iii)

Reg. No. 2 5
Reg. No. 4
Reg. No. 6
Reg. No. 9-III
Reg. No. 9-II
Reg. No. 11
Reg. No. 12 41/14 47 35/15
Reg. No. 19 154/14
Reg. No. 21 36 ESI 26-8/14 40 22-9-14
Reg. No. 23

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any:

Date 25/8/14

12. F.I.R Contents(attach separate sheet,if required):

श्री मान जी नकल तहरीर जैल है। सेवा मे इंस्पैक्टर विजिलैंस, अम्बाला। श्रीमान जी, निवेदन है कि मै अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत गांव गेलडी, बलॉक बराडा, जिला अम्बाला का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी रेखा देवी वर्ष 2010 से ग्राम पंचायत गेलडी की सरपंच है। गेलडी प्रचांयत मे श्री दलबीर सिंह सैक्रेटरी लगा हुआ है। पचांयत के हद रकबा मे खडे सरकंडे व तालाब की मछली पालन के लिए सरेआम बोली की तारीख दिनाकं 23.08.2014 रखी गई थी। बोली करवाने के लिए दलबीर सिंह सैक्रेटरी ने मेरी पत्नी ग्राम सरपंच की ओर से मेरे से 25000/- रुपये रिशवत की मांग की। मैने उसको कहा कि छोटी-छोटी बोलियां है इसके लिए मैं रिशवत की राशि किस लिए दूं। सैक्रेटरी ने कहा कि 25000/- रुपये लिए बिना मैं बोली नही करवाउंगा। 23 तारीख को गांव में आकर सैक्रेटरी ने फिर 25000/- रुपये की मांग की। मैने रिशवत की राशि देने मे असमर्थता जताई। जिस पर दलबीर सिंह सैक्रेटरी ने कहा कि 25000/- रुपये लिए बिना मै बोली नही करवाउंगा तथा बोली कैंसल कर दी। फिर मैंने मजबूरीवश दलबीर सैक्रेटरी को कहा कि मैं इतने पैसे नही दे सकता, मेरे बार-बार कहने पर वह 15000/- रुपये लेने पर राजी हो गया व कहा कि 10000/- रुपये बोली से पहले दे देना तथा 5000/- रुपये बोली के बाद दे देना। मजबूरीवश मैंने उसको रिशवत की राशि देने की हां कर दी जिस पर उसने उसी समय आज दिनाक 25.08.2014 को बोली की तारीख तय कर दी। मैं दलबीर सिंह सैक्रेटरी को रिशवत की राशि देना नही चाहता। इसलिए 10000/- रुपये की राशि जिनमे 6 नोट 1000/1000 वाले तथा 8 नोट 500/500 रुपये वाले है, लेकर आपके पास आया हूं। दलबीर सिहं सैक्रेटरी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। SD- अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिहं राजपूत गांव गेलडी, खंड बराडा, जिला अम्बाला। कार्यवाही पुलिस आज मन निरीक्षक अपने कार्यलय राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला मे हाजिर हूं। इस समय मुदई उपरोक्त ने हाजिर आकर एक टाईप शुदा शिकायत अपने हस्ताक्षर करके विरुद्व श्री दलबीर सिंह ग्रावं सचिव गांव गेलडी के विरुद्व पेश की जिसमें उस द्वारा 10000 रुपये रिशवत मांगने का आरोप लगाया है। जिस बारे हालात उच्च अधिकारियो को बतलाए गए तथा मुख्य सिपाही निर्मल सिंह न. 326 मुख्य सिपाही दलबीर सिंह न.97 सिपाही नवतेज सिहं न. 834 सिपाही धर्मवीर सिंह न० 1553 अम्बाला को शामिल करके रेडिंग पार्टी तैयार की गई। मजबून दरखास्त से सुर्त जुर्म 7 पी सी एक्ट 1988 का पाया जाकर तहरीर हवाले बलवान सिहं मोर्हर थाना करके हिदायत हुई थी समय बहुत कम है इसलिए तहरीर हजा बदहस्त सिपाही हरमेश सिंह न. 686 भेजकर अनुरोध है कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके एफ.आई.आर. की एक प्रति सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट सी.जे. एम अम्बाला बतोर स्पैशल रिपोर्ट भिजवाई जाएं। एफ. आई. आर की प्रतियां अन्य अधिकारियो की सेवा मे भेजी जाएं। तथा मिसल पुलिस बदहस्त आरिन्दा सिपाही स्पैशल मैसेन्जर द्वारा मन निरिक्षक के पास भिजवाई जाएं। मन निरिक्षक मय मुदई मय रेडिंग पार्टी के बासवारी सरकारी गांडी जिसका चालक अशोक कुमार है के बराए तफ्तीश रवाना होता हूं। उपायुक्त महोदय से डयूटी मैजिस्ट्रेट व शेडो गवाह नियुक्त करवाकर शामिल रेडिंग पार्टी किए जाए। SD-राजिन्द्र कुमार निरिक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला। दिनांक 25.08.2014 समय 11-30 AM अज थाना- हस्ब आमद उपरोक्त तहरीर प्रास होने पर बा हवाला रपट न० 5 समय 11-30 AM पर मुकदमा नम्बर9 दिनाकं 25-8-2014 धारा 7 PC ACT 1988 दर्ज रजि० किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट मय असल तहरीर सिपाही हरमेश सिंह 686कैथल को देकर हिदायत की गई की पहले स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला को देगा फिर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका अनुसंधान अधिकारी के पास जाएगा प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियो की सेवा में अलग से भेजी जा रही है।

13. Action Taken(Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O): RAJINDER KUMAR Rank: INS

No.: 00000088

to take up the investigation, OR

थाना राज्य चौकसी ब्युरो Date 25/8/14 अम्बाला

(iii) Refused investigation due to:

(iv) Transferred to P.S(name): OR District:
on point of jurisdiction.

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C:

14 .

Signature / Thumb Impression
of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: SI DINESH CHAND
Rank: SI No.: 00031338

15 . Date and Time of despatch to the court:

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
Date 25/8/14
अम्बाला मण्डल, अम्बाला